HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 4th February, 2004

No. S.O.15/H.A. 6/2003/S. 60/2004. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. web 14/H.A. 6/2003/S.60/2004, dated the 23rd January, 2004, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2004.

2. In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), the existing rule 10 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) so renumbered, the following sub-rule shall be added with effect from 1ST February, 2004, namely:-

   "(2) In relation to a dealer in whose case taxable quantum as specified in sub-section (2) of section 3 of the Act or in the foregoing sub-rule is not nil, the taxable quantum shall be five lakh rupees and he shall be liable to pay tax on and from the day following the day his gross turnover in any year first exceeds the taxable quantum.".

3. In the said rules, in rule 52,-

   (I) in sub-rule (2)-

      (i) for the words "twenty five lakh rupees", the words "forty lakh rupees" shall be substituted ;

      (ii) under heading "Application in form A", for the existing para, the following para shall be substituted, namely:-

   "I/We…..…………..…………..proprietor/partner/director/manager of M/s ……….. district….…...holding TIN………opt for payment of lump sum in lieu of tax from the month following the month in

which my application for lump sum payment is allowed in terms of the provisions of rule 46 and 52 of the Haryana Value Added Tax Rules, 2003.” ;

(II) in sub-rule (7), for the words “ twenty five lakh rupees”, the words “forty lakh rupees” shall be substituted.

CHANDER SINGH
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 फरवरी, 2004

संख्या का0आ0 15/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 60/ 2004.– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 60 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 वैब 14 /ह0अ0 6/2003/धा0 60 /2004, दिनांक 23 जनवरी, 2004, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, विद्यमान नियम 10 को, उसके उप–नियम (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्याकित उप–नियम (1) के बाद, प्रथम फरवरी, 2004, से निम्नलिखित उप–नियम जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) किसी व्यवहारी के सम्बन्ध में जिसके मामले में अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में या पूर्ववर्ती उप–नियम में विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा शून्य नहीं है कराधेय मात्रा पॉच लाख रूपए होगी तथा वह, उस दिन के आगामी दिन से जिससे किसी वर्ष में उसका सकल आवर्त प्रथमतः कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है, कर के भुगतान का दायी होगा । "

3. उक्त नियमों में, नियम 52 में,–

(I) उप–नियम (2) में,

(i) "पच्चीस लाख रूपए" शब्दों के स्थान पर, " चालीस लाख रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किये जाऐंगे ;

(ii) "प्ररूप क में आवेदन" शीर्ष के नीचे विद्यमान पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"मैं/हम मैसर्ज ———————————— के स्वामी /हिस्सेदार/निदेशक/ प्रबन्धक, जिला———————————— टी. आई.एन. ———————— धारित हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, के नियम 46 तथा 52 के उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार जिस मास में मेरा आवेदन एक मुश्त राशि के भुगतान के लिए अनुज्ञात किया जाता है उससे अगले मास से कर की एक मुश्त राशि के भुगतान का विकल्प देता हूँ/देते हैं ।" ;

(II) उप–नियम (7) में, "पच्चीस लाख रूपए" शब्दों के स्थान पर " चालीस लाख रूपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएगें।

चन्द्र सिंह
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग